



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 458]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 1980/आश्विना 8, 1902

No. 458]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 1980/ASVINA 8, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

संविमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1980

का० भा० 826 (अ) —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड
(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य
आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ
पैंतालीसवां संशोधन) नियम, 1980 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची
में,—

(क) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "ख. खाद्य विभाग" उप-
शीर्षक के अंतर्गत, सब 3 और उसमें संबंधित प्रविष्टि के स्थान
पर, निम्नलिखित सब और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"3. भाग 1 और 2 में उल्लिखित विषयों तथा दिल्ली, अण्डमान
और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के खाद्य प्रशासन के
लिए"

(ख) "वाणिज्य मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत,—

(1) "क. वाणिज्य विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत,—

(क) प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी
जाएगी, अर्थात् :—

"2. वाणिज्य-नीति में संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरण (अर्थात्
यू० एन० सी० टी० ए० डी०, ई० एम० सी० ए० पी०,
ई० सी० ए०, ई० सी० आई० ए०, ई० ई० सी०,
ई० एफ० टी० ए०, जी० ए० टी० टी०)" ;

(ख) प्रविष्टि 8(1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि
रखी जाएगी, अर्थात् :—

"8(1) हस्तशिल्प और हेडलूम निर्यात निगम तथा केन्द्रीय
कुटीर उद्योग निगम के निवाय राज्य व्यापार निगम तथा
उसके सहायक संगठन" ;

(ग) प्रविष्टि 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी,
अर्थात् :—

"10. टैरिफ आयोग में संबंधित अवशिष्ट कार्य सहित अन्तर्राष्ट्रीय
सीमाशुल्क ब्यूरो" ;

(घ) प्रविष्टि 12(घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी
जाएगी, अर्थात् :—

"12(घ) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण" ;

(2) "ख. वस्त्र विभाग" उपशीर्षक के अंतर्गत,—

(क) प्रविष्टि 1 और 20 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां
रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. जूट, जूट उत्पादन और हस्तशिल्प और सभी वस्त्रों और ऊनी
वस्त्रों, जिसमें हेडलूम, विद्युत् करघे, सिगे-सिलाए वस्त्र शामिल

- है, का उत्पादन, वितरण (देश में उपभोग और निर्यात के लिए) और विकास तथा रेशम और सेल्युलसिक मन्तुओं, जिनमें गैर-सेल्युलसिक सिंग्लेट तन्तु (नायलान, पालियेस्टर, एक्रिलिक, आदि) नहीं हैं, के उत्पादन से संबन्ध उद्योग ;
20. हस्तगिल्प और हैंडलूम नियत निगम और उनके सहायक संगठन” ;
- (ख) प्रविष्टि 20 के परषात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “21. वस्त्र समिति
22. भूगतान प्रायुक्त” ;
- (ख) “वित्त मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत, “ब. व्यय विभाग” उप-शीर्षक के अंतर्गत,—
- (क) प्रविष्टि 5 का लोप किया जाएगा ;
- (ख) प्रविष्टि 7क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “7क. निम्नलिखित से संबंधित लेखा महानियंत्रक का संगठन :
- (1) संघ अथवा राज्य सरकारों से संबंधित सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत और लेखा-प्ररूप तथा उनसे संबंधित नियम और नियम पुस्तिकाओं का निर्माण अथवा संशोधन करना ;
- (2) रिजर्व बैंक के पास संघ सरकार के रोकड़ शेष का, सामान्य रूप से, और सिविल मंत्रालयों अथवा विभागों से संबंधित रिजर्व बैंक निक्षेपों का, विशेष रूप से, समाधान ;
- (3) केन्द्रीय सिविल लेखा कार्यालयों द्वारा लेखाकरण के सम्बन्धित मानकों के प्रतिपालन का निरीक्षण ;
- (4) मासिक लेखों का समेकन, राजस्व बसूली की प्रवृत्तियों तथा व्यय हत्यादि के महत्वपूर्ण लक्षणों की समीक्षा तैयार करना तथा संघ सरकार के मामले में वार्षिक प्राप्तियों और खर्चियों की अपने-अपने शीर्षक के अंतर्गत दर्शति हुए वार्षिक लेखों (सारांश, सिविल विनियोजन लेखों सहित) तैयार करना ;
- (5) केन्द्रीय खजाना नियमों का प्रशासन ;
- (6) सिविल मंत्रालयों अथवा विभागों में प्रबंध लेखाकरण प्रणाली लागू करने में समन्वय और सहायता ;
- (7) वर्ग “क” (भारतीय सिविल लेखा सेवा) और वर्ग “ख” सिविल लेखा कार्यालयों के अधिकारियों का काष्ठर प्रबंध ; और
- (8) वर्ग “ग” और “घ” से संबंधित केन्द्रीय सिविल लेखा स्टाफ के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं का आयोजन” ;
- (ग) प्रविष्टि 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “8. राज्य योजनाओं, जिनमें प्राकृतिक विपत्तियाँ आने पर सहायता कार्यों के लिए अग्रिम योजना सहायता भी शामिल है, के लिए अनुदान एवं ऋण देना” ;
- (घ) प्रविष्टि 9 का लोप किया जाएगा ;
- (ङ) प्रविष्टि 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “11. योजना बजट” ;
- (घ) “निर्माण और आवास मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत,—
- (क) प्रविष्टि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “1. निम्नलिखित के विषय संघ की सम्पत्ति, चाहे भूमि हो अथवा भवन :—
- (1) वे जो रेल और रक्षा मंत्रालयों और परमाणु ऊर्जा विभाग के हों ;
- (2) ऐसे भवन अथवा भूमि जिनके निर्माण अथवा अर्जन के लिए अन्तराष्ट्रिय सिविल निर्माण बजट से भिन्न किन्हीं अन्य साधनों से जुटाई हो ;
- (3) ऐसी भूमि अथवा भवन, जिनका नियंत्रण, उनके निर्माण अथवा अर्जन के समय अथवा बाद में, निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा स्थायी रूप से रूमेरे मंत्रालयों और विभागों को सौंप दिया गया हो” ;
- (ख) प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “4. केन्द्रीय लोक निर्माण संगठन” ;
- (ग) प्रविष्टि 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “5. निर्माण और आवास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी होटलों सहित सरकारी सम्पत्तियों का प्रशासन 1 महानगरों में कार्यालयों का अथवा स्थापन या वहाँ से उनका विमर्जन” ;
- (घ) प्रविष्टि 8 का लोप किया जाएगा ;
- (ङ) प्रविष्टि 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “11. चार पुनर्वास बाजारों का प्रशासन; अर्थात् मंगोजिनी नगर मार्केट, शंकर मार्केट, प्लेजर गार्डन मार्केट और कमला मार्केट” ;
- (च) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी ; अर्थात् :—
- “12. आवास नीति और कार्यक्रम का तैयार किया जाना (इसके अन्तर्गत ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय को मौनी गई भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास की नोडल जिम्मेदारी नहीं है) । योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विचार । निर्माण-सामग्री और निर्माण तकनीक संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और प्रसारण । निर्माण लागत घटाने के साधारण उपाय आवासन में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता” ;
- (छ) प्रविष्टि 14 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “14. नगर विकास, जिसके अंतर्गत गंदी बस्ती सफाई स्कीमों तथा झुग्गी और झोपड़ी हटाने की स्कीमों हैं । इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता” ;
- (ज) प्रविष्टि 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “15. नगर और ग्राम योजना ; महानगरीय क्षेत्रों के विकास और योजना से संबंधित मामले । इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता” ;
- (झ) प्रविष्टि 18 का लोप किया जाएगा ;
- (ण) प्रविष्टि 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—
- “22. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958” ;
- (ट) प्रविष्टि 23 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—
- “23. सरकारी बस्तियों का विकास” ;
- (ठ) प्रविष्टि 23ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—
- “23ख. दिल्ली नगर निगम का जल प्रदाय-और मल-व्ययन उपक्रम” ;

(इ) प्रविष्टि 23ग के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायगी, प्रस्ताव :-

"23ग. जल-प्रदाय, मल-व्ययन और जल-विकास (इसके अन्तर्गत) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय को मांपी गई ग्रामीण जल-प्रदाय की नोडल जिम्मेदारी नहीं है)। पेय जल आपूर्ति और सफाई का प्रबंध। इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता";

(ख) प्रविष्टि 23ड का लाप किया जायगा;

(ण) प्रविष्टि 26 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायंगी, प्रस्ताव :-

- "27 शहरी भूमि (सीमाबन्दी और विनियमन) अधिनियम, 1976;
28. शूल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
29. दिल्ली नगरीय कला आयोग, नगरीय कला आयोग अधिनियम, 1973;
30. गांधी समृति और राजघाट समाधि समिति का प्रशासन।

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं० 74/3/16/80-संदि०

द्वार० परमेश्वर, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 1980

S.O. 826(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and forty-fifth Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(A) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)" under the sub-heading "9. Department of Food (Khadya Vibhag)", for item III and entry relating thereto, the following item and entry shall be substituted, namely :-

"III. For the subjects detailed in Parts I and II as well as the Food Administration of Delhi, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep".

(B) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE (VANIJAYA MANTRALAYA)"—

(i) under the sub-heading "A. Department of Commerce (Vanijya Vibhag)",—

(a) for entry 2, the following entry shall be substituted, namely :-

"2. International Agencies connected with commercial policy (e.g. UNCTAD, ECAFE, ECA, ECIA, EEC, EFTA, GATT)";

(b) for entry 8(i), the following entry shall be substituted, namely :-

"8(i) State Trading Corporation and its subsidiaries excluding Handicrafts and Handlooms

Export Corporation and Central Cottage Industries Corporation.";

(c) for entry 10, the following entry shall be substituted, namely :-

"10. International Custom Tariff Bureau including residuary work relating to Tariff Commission";

(d) for entry 12(d), the following entry shall be substituted, namely :-

"12(d) Trade Fair Authority of India";

(i) under the sub-heading "B. Department of Textiles (Vastr Vibhag)",—

(a) for entries 1 and 20, the following entries shall respectively, be substituted, namely :-

"1. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of jute, jute products, handicrafts and all textiles and woollens including handlooms, powerlooms, ready made garments and industries relating to the production of silk and cellulosic fibres but excluding non-cellulosic synthetic fibres (nylon, polyester acrylic, etc).

20. Handicrafts and Handlooms Export Corporation and its subsidiary.";

(b) After entry 20, the following entries shall be inserted, namely :-

"21. Textile Committee

22. Commissioner of Payments.";

(C) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. Department of Expenditure (Vyaya Vibhag)",—

(a) entry 5 shall be omitted;

(b) for entry 7A, the following entry shall be substituted, namely :-

"7A. Organisation of the Controller General of Accounts dealing with

(i) General principles of Government accounting relating to Union or State Governments and form of accounts, and to frame or revise rules and manuals relating thereto;

(ii) Reconciliation of cash balance of Union Government with Reserve Bank in general and, in particular of Reserve Bank Deposits pertaining to civil Ministries or Departments;

(iii) Overseeing the maintenance of adequate standards of accounting by Central Civil Accounts Offices;

(iv) Consolidation of monthly accounts, preparation of review of trends of revenue realisation and significant features of expenditure etc. and preparation of annual accounts (including Summary, Civil Appropriation Accounts) showing under the respective heads, the annual receipts and disbursements for the purpose of the Union Government;

(v) Administration of Central Treasury Rules;

(vi) Co-ordination and assistance in the introduction of management accounting system in Civil Ministries or Departments;

- (vii) Cadre Management of Group 'A' (Indian Civil Accounts Service) and Group 'B' Officers of the Central Civil Accounts Offices; and
- (viii) Organising of training and examinations for the Central Civil Accounts staff belonging to Groups 'C' and 'D';
- (c) for entry 8, the following entry shall be substituted, namely :—
 "8. Release of Grants and Loans for the State Plans including advance Plan assistance towards expenditure on relief measures in the event of natural calamities.";
- (d) entry 9 shall be omitted;
- (e) for entry 11, the following entry shall be substituted, namely :—
 "11. Plan Budget.";
- (D) under the heading "MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (NIRMAN AUR AWAS MANTRALAYA)",—
- (a) for entry 1, the following entry shall be substituted namely :—
 "1. Properties of the union, whether lands or buildings with the following exceptions :—
 (i) those belonging to the Ministries of Railways and Defence and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag);
 (ii) Buildings of lands, the constructions or acquisition of which has been financed otherwise than from the Civil Works budget;
 (iii) Buildings or lands, the control of which has at the time of construction or acquisition or subsequently being permanently made over by the Ministry of Works and Housing to other Ministries and Departments.";
- (b) for entry 4, the following entry shall be substituted, namely :—
 "4. Central Public Works Organisation.";
- (c) for entry 5, the following entry shall be substituted, namely :—
 "5. Administration of Government estates including Government Hotels under the control of the Ministry of Works and Housing. Location or dispersal of offices in or from the Metropolitan cities.";
- (d) entry 8 shall be omitted;
- (e) for entry 11, the following entry shall be substituted; namely :—
 "11. Administration of four Rehabilitation Markets; viz. Sarojini Nagar Market, Shankar Market, Pleasure Garden Market and Kamla Market";
- (f) for entry 12, the following entry shall be substituted, namely :—
 "12. Formulation of housing policy and programme (except nodal responsibility for housing for landless rural labour which is assigned to the Ministry of Rural Reconstruction). Review of the implementation of the Plan Schemes. Collection and dissemination of data on housing, building materials and building techniques. General Measures for reduction of building costs. International co-operation and technical assistance in housing";
- (g) for entry 14, the following entry shall be substituted, namely :—
 "14. Urban Development including Slum Clearance Schemes and the Jhuggi and Jhonpri Removal Schemes. International co-operation and technical assistance in this field";
- (h) for entry 15, the following entry shall be substituted, namely :—
 "15. Town and Country Planning; matters relating to the Planning and development of Metropolitan areas. International co-operation and technical assistance in this field.";
- (i) entry 18 shall be omitted;
- (j) for entry 22, the following entry shall be substituted namely :—
 "22. The Delhi Rent Control Act, 1958.";
- (k) for entry 23, the following entry shall be substituted, namely :—
 "23. Development of Government colonies.";
- (l) for entry 23B, the following entry shall be substituted, namely :—
 "23B. The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi.";
- (m) for entry 23C, the following entry shall be substituted, namely :—
 "23C. Water Supply, sewage and drainage (excluding nodal responsibility for rural water supply which is assigned to the Ministry of Rural Reconstruction) Drinking water supply and sanitation. International co-operation and technical assistance in this field.";
- (n) entry 23E shall be omitted.
- (o) after entry 26, the following entries shall be inserted namely :—
 "27. The Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976.
 28. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
 29. Delhi Urban Art Commission, Delhi Urban Art Commission Act, 1973.
 30. Administration of Gandhi Samriti Samiti and Rajghat Samadhi Committee."

N. SANJIVA REDDY
 PRESIDENT

[No. 74/3/16/80-Cab]

R. PARAMESWAR, Jt. Sec